



राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

Phone No.: (0294) 2415091-95 Fax : (0294) 2413116 Email : fa.uda.mg@rajasthan.gov.in

क्रमांक निदे/प-13/परिपत्र/2021/1158

दिनांक 23/02/2021

परिपत्र

प्रायः यह पाया गया है कि विभाग में सांराशीकृत आकस्मिक बिलों (एसी बिल) के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों (डीसी बिल) के प्रस्तुतीकरण में अनियमिततायें या विलंब से प्रस्तुत किये जा रहे हैं। जबकि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 219 के अनुसार, सेवा शीर्षों को नामे कर सांराशीकृत आकस्मिक बिल (ए.सी.) तैयार करके कुछ राशि निकालने के लिए नियंत्रक एवं वितरण अधिकारी अधिकृत होते हैं तथा विस्तृत आकस्मिक बिलों (डी.सी.) (अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचर) को कोषालय के माध्यम से महालेखाकार (लेखा एवं हक) को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। नियम 220 (1) एसी बिलों के आहरण में तीन माह के भीतर डीसी बिलों को प्रस्तुत करना उपबन्धित करता है (सिवाय विदेश से मशीनरी/उपकरण एवं अन्य सामान साख पत्र द्वारा क्रय के प्रकरणों में, जहाँ डीसी बिल सक्षम प्राधिकारी को एसी बिल आहरित किये जाने के छः माह में प्रस्तुत किये जायेंगे)। अतएवं उक्त नियमों की पालना करना सुनिश्चित करने के साथ ही कार्यालयों में उपयोगिता प्रमाण पत्रों की निगरानी हेतु रजिस्टर संधारित कर मासिक समीक्षा करे।

(डॉ. कुंज बिहारी पण्ड्या)

निदेशक

खान एवं भूविज्ञान विभाग,

राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक निदे/प-13/परिपत्र/2021/1158

दिनांक 23/02/2021

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करावें :-

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) (व्यय अनुभाग)के. का., उदयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक(खान) जोन-जयपुर/उदयपुर/जोधपुर/कोटा/(सतर्कता)उदयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक(भूविज्ञान)जोन-उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर।
4. अधीक्षण खनि अभियन्ता, वृत जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/भीलवाडा/अजमेर/राजसमन्द।
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/भरतपुर/बीकानेर/भीलवाडा।

6. अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक एवं छिद्रण) उदयपुर/बीकानेर ।
7. अधीक्षण भूवैज्ञानिक, रीजन-जयपुर/जोधपुर/ट्राईबल-उदयपुर/
फास्फेट-उदयपुर/बीकानेर/अजमेर/जैसलमेर/भरतपुर/कोटा/भीलवाडा ।
8. यांत्रिक अभियन्ता(कर्मशाला) उदयपुर ।
9. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, राजसमंद/सिरोही/बाडमेर/अलवर/कोटा/अजमेर/
बांसवाडा/चित्तौडगढ/करौली/नागौर/जैसलमेर ।
10. खनि अभियन्ता, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/सिरोही/
सीकर/अलवर/आमेट/नागौर/भरतपुर/राजसमंद-प्रथम/द्वितीय/बून्दी-प्रथम/द्वितीय/
रामगंजमण्डी/झुंझुनूं/सोजतसिटी/भीलवाडा/धौलपुर/बिजौलिया/चित्तौडगढ/
मकराना/करौली/प्रतापगढ/ब्यावर/डूंगरपुर/जालौर/बांसवाडा/बाडमेर/
श्रीगंगानगर/जैसलमेर / **याचिका**-जयपुर/**याचिका**-जाधेपुर ।
11. खनि अभियन्ता सतर्कता-जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/भीलवाडा/
उदयपुर/अजमेर/अलवर/ नागौर/करौली/सीकर ।
12. सहायक खनि अभियन्ता, सलुम्बर/ऋषभदेव/टौक/बालेसर/निम्बाहेडा/कोटपूतली/
गोटन/झालावाड/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/चुरू/हनुमानगढ/नीमकाथाना/रूपवास/
सावर ।
13. सहायक खनि अभियन्ता (**सतर्कता**), कोटपूतली/नीमकाथाना/झुंझुनूं/मकराना/तिजारा/
बालेसर/टौक/बांसवाडा/बिजौलिया/बून्दी/राजसमन्द/जैसलमेर/गंगापुर/सोजतसिटी/
कोलायत/धौलपुर/ ब्यावर/सवाईमाधोपुर/डींग ।
14. डीएमजीओएमएस को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

५
वित्तीय सलाहकार